वांगचुक के पिता से इंदिरा गांधी की मुलाकात फिर चर्चा में

रकारों के रवैए पर छिड़ी बहस, इंदिरा ने खुद लेह पहुंचकर हड़ताल खत्म करवाई थी

याल के चार दशक पुराने शन की यादें फिर विमर्श हिस्सा बनीं

दिल्ली। ए. चार दशक पहले ाखी नेता दिवंगत सोनम वांग्यल ने लद्दाख के समुदायों को अनुसूचित जाति (एसटी) का दर्जा दिए जाने मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी, तब लीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खुद पहुंची थीं और उन्होंने मांग पर रात्मक कदम उठाने का भरोसा वांग्यल को अनशन खत्म करने लिए राजी किया था। ऐतिहासिक लेखों में यह जानकारी मिलती है। ांग्यल के चार दशक पुराने अनशन

की यादें शुक्रवार को एक बार फिर सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बन गईं, जब उनके बेटे, जलवायु कार्यकर्ता एवं शिक्षाविद् सोनम वांगचुक, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के 20वें दिन भी डटे रहे। इस दौरान कई राजनीतिक नेताओं और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने वांग्यल के अनशन पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिक्रिया की तुलना मौजूदा सरकार के रुख से की। इस बीच, शनिवार को जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को उनके अनशन के 21वें दिन तबीयत बिगड़ने के बाद दिल्ली पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया। वांगचुक नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं और इस विवाद के कारण कथित तौर पर कुछ छात्रों की मौत के विरोध में 28 जून से कांकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं।

वांग्यल और इंदिरा की मुलाकात की तस्वीरें वायरल हुईं- शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वांग्यल के अनशन के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से उनकी मुलाकात की तस्वीरें भी व्यापक रूप से साझा की गईं। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार, पूर्व प्रधानमंत्री ने वांग्यल को भरोसा दिलाया था कि उनकी मांग पर विचार किया जाएगा और उन्हें अनशन समाप्त करने के लिए राजी किया था।

वर्ष 1989 में लद्दाख के समुदायों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा प्रदान किया गया।

दिवंगत सोनम वांग्यल लद्दाख के प्रमुख नेताओं में शामिल थे और अविभाजित जम्मू-कश्मीर सरकार में मंत्री भी रह चुके थे। लद्दाख की संवैधानिक और राजनीतिक आकांक्षाओं को लेकर जनमत तैयार करने में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है।

मोदी सरकार के मूल सिद्धांत ‘असत्य और हिंसा’ हैं : राहुल

ा, अनशन पर बैठे चुक को जंतर-मंतर टाना गलत

दिल्ली। ए. कांग्रेस नेता राहुल ने शनिवार को कहा कि जब ाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पूर्ण तरीके से अनशन पर थे, उन्हें जंतर-मंतर से हटाया जाना त है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के मूल सिद्धांत ‘असत्य हिंसा’ हैं। कांग्रेस ने वांगचुक जंतर-मंतर से अस्पताल ांतरित करने संबंधी पुलिस वाई की कड़ी आलोचना की इस कार्रवाई को देश के तंत्र और संविधान के ऊपर और काला धब्बा’ करार दिया। ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में

कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार के मूल सिद्धांत ‘असत्य और हिंसा’ हैं। उन्होंने कहा, ‘जब सोनम वांगचुक जी शांतिपूर्ण तरीके से अनशन पर थे, तब उन्हें जंतर-मंतर से हटाया जाना गलत है।’ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष गांधी ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक, शिक्षा की बढ़ती लागत और विद्यार्थियों की आत्महत्याएं भारत के भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।’ उन्होंने कहा कि कोई भी ताकत भारत के विद्यार्थियों और उन लोगों को, जो उनसे प्रेम करते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, इन मुद्दों को उठाने से रोक नहीं सकती।

उद्धव ने नागपुर के राम ंदिर में पूजा-अर्चना की

पुर। ए. शिवसेना (उबाठा) ख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को पुर के एक राम मंदिर में पूजा-ना और आरती की। यह कार्यक्रम ध्या राम मंदिर में चढ़ावे के कथित के खिलाफ उनके ‘राम रक्षा लन’ से पहले आयोजित किया था। शहर के राम नगर इलाके में मंदिर में पूजा और आरती के न उद्धव ठाकरे के साथ आदित्य रे, संजय राउत, पार्टी के विधायक, नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। पूजा-अर्चना के बाद, उन्होंने अपनी पार्टी के ‘राम रक्षा आंदोलन’ के तहत मंदिर के बाहर जमा लोगों को संबोधित किया। राम मंदिर के लिए मिले चढ़ावे में कथित हेराफेरी का मामला पिछले महीने सामने आया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इन आरोपों की जांच के लिए 13 सदस्यीय एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया।

ोधपुर के अस्पताल में महिला को गलत समूह का रक्त चढ़ाया

पुर। ए. जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में 24 वर्षीय महिला को प्रसव के कथित तौर पर गलत समूह का रक्त चढ़ा दिया गया और उसकी हालत ंगभीर हो गई, हालांकि बाद में चिकित्सकों ने उसकी सेहत में सुधार की कही। एमजी अस्पताल के अधीक्षक फतेह सिंह ने बताया कि गलत समूह क्त चढ़ने के कारण मरीज के गुर्दे पर गंभीर असर पड़ा है और पेशाब आना हो गया था। इस चूक के कारण तबीयत बिगड़ने पर मरीज धापू भील को जुलाई को महात्मा गांधी (एमजी) अस्पताल के आईसीयू में स्थानांतरित गया। जोधपुर जिले के डावरा बावड़ी गांव की निवासी धापू ने 11 जुलाई एक बेटे को जन्म दिया था। खून की कमी और प्रसव के बाद की अन्य लताओं के कारण, उन्हें उसी दिन उम्मेद अस्पताल रेफर किया गया था।

कसर को तनखैया बताने के मामले में आजम की अपील खारिज

नऊ। एजेंसी। लोकसभा व-2019 के दौरान चुनावी में अधिकारी को तनखैया बताने मामले में सपा नेता आजम खां राहत नहीं मिली। निचली लत से मिली दो वर्ष की सजा के ाफ दायर उनकी अपील को ी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ल) ने खारिज कर दिया है। लत ने निचली अदालत के ले को सही ठहराते हुए सजा जुर्माने के आदेश को बरकरार है। मामला वर्ष 2019 के सभा चुनाव के दौरान का है। व प्रचार के दौरान थाना भोट के गांव मनकरा में आयोजित जनसभा में आजम खां ने मंच अधिकारियों को लेकर विवादित णी की थी। प्रशासन ने इसे र्श आचार संहिता का उल्लंघन था। इस बयान के संबंध में ालीन उप जिलाधिकारी याम त्रिपाठी की ओर से भोट में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
* * * * *

राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के लिए
02 वरिष्ठ सलाहकार एवं 02 सलाहकार पदों पर नियुक्ति हेतु

वस्त्र मंत्रालय के राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित 04 संविदात्मक पदों की पूर्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:

(i) वरिष्ठ सलाहकार (नवाचार एवं स्टार्ट-अप)
(ii) वरिष्ठ सलाहकार (डेटा विश्लेषण)
(iii) सलाहकार/ विशेषज्ञ (वैज्ञानिक अनुसंधान)
(iv) सलाहकार (कौशल विकास एवं प्रशिक्षण)

उपरोक्त पदों हेतु आवेदन जमा करने के लिए पात्रता, योग्यता, अनुभव, पारिश्रमिक, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि आदि से संबंधित विस्तृत जानकारी वस्त्र मंत्रालय की वेबसाइटों www.texmin.gov.in एवं https://nttm.texmin.gov.in पर उपलब्ध है.

आवेदन की अंतिम तारीख : 24 जुलाई, 2026

जुलाई, 2026
वस्त्र मंत्रालय
नई दिल्ली

cbc 41101/11/0005/2627

भारतीय स्टेट बैंक
शाखा - एसएमई दुर्ग, मोबाइल: 8319709587, 9926800983

चल संपत्ति हेतु ई-नीलामी सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के 6(2) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन चल संपत्ति (वाहन) के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस। आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित वाहन जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी हैं, का भौतिक कब्जा भारतीय स्टेट बैंक प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है"** के आधार पर निम्न वर्णित उधारकर्ता से भारतीय स्टेट बैंक प्रतिभूत लेनदार बकाया राशि एवं उस पर देय ब्याज व अन्य खर्चों की वसूली हेतु दिनांक **29.07.2026 (विक्रय की तारीख) को समय प्रातः 11.00 से सायं 4 बजे** तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) बेचा जाएगा.

ई-नीलामी की तिथि एवं समय: 29/07/2026, सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक

उधारकर्ता का नाम- मैसर्स पोद्दार ट्रांसपोर्ट, प्रो.: श्री कमल किशोर पोद्दार पिता श्री जुगल किशोर पोद्दार, पता: भूतल, शॉप नंबर 2,3, स्वोजस हाइट्स, रायपुर, छ.ग.- 492001

क्र.	वाहन का विवरण	आरक्षित मूल्य	अग्रिम जमा राशि	बोली वृद्धि
1	टाटा LPT 4225, CG 04 PP 2554	₹1790402/-	₹179041/-	₹100000/-
2	टाटा LPT 4225, CG 04 PP 3679	₹1952631/-	₹195264/-	₹100000/-
3	टाटा LPT 4225, CG 04 PP 2545	₹1774207/-	₹177421/-	₹100000/-
4	टाटा LPT 4225, CG 04 PP 7279	₹2000331/-	₹200034/-	₹100000/-
5	टाटा LPT 4225, CG 04 PW 2743	₹2230366/-	₹223037/-	₹100000/-
6	टाटा LPT 4225, CG 04 PW 3643	₹2243866/-	₹224387/-	₹100000/-
7	टाटा LPT 4225, CG 04 PW 3652	₹2128666/-	₹212867/-	₹100000/-
8	टाटा LPT 4225, CG 04 PW 3661	₹2152966/-	₹215297/-	₹100000/-
9	टाटा LPT 4225, CG 04 PW 5461	₹2279416/-	₹227942/-	₹100000/-
10	टाटा LPT 4225, CG 04 PW 4561	₹2088806/-	₹208881/-	₹100000/-

वाहन के निरीक्षण का दिनांक एवं समय: 28.07.2026 सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: 29.07.2026, समय: दोपहर 3.00 बजे तक

वाहन निरीक्षण का स्थान: हाईटेक पार्किंग, दुर्ग धर्मकांटा के सामने, बेस्ट प्राइस, रिंग रोड नं. 2, भानपुरी, रायपुर (छ.ग.)

इच्छुक बोली लगाने वाले/ खरीददारों को नीलामी के उचित समय से पहले बैंक से मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाता **Baanknet** के संबंधित ई-नीलामी वेब पोर्टल **https://baanknet.com** में रजिस्ट्रेशन कर अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाईन मोड का उपयोग करके ईएमडी राशि का ट्रांसफर करना होगा। यदि ग्लोबल ईएमडी वालेट में ईएमडी राशि उपलब्ध नहीं है, तो सिस्टम बोली लगाने की अनुमति नहीं देगा। नीलामी के पूर्व रजिस्ट्रेशन, केवायसी दस्तावेजों का सत्यापन और वालेट में ईएमडी जमा अग्रिम कम से किया जाना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी एवं सूचना के अनुसार कमर्शियल वाहन पर कोई अन्य भार नहीं है, फिर भी इच्छुक निविदाकर्ता अपनी निविदा जमा करने से पूर्व कमर्शियल वाहन से संबंधित किसी भी भार के विषय में संबंधित कार्यालय/ विभाग से जानकारी प्राप्त करें। कमर्शियल वाहन से संबंधित निर्णय निविदादाता को स्वविवेक से लेना होगा। सभी वैधानिक/ गैर-सांविधिक बकायों, करों, दरों, निर्धारणों, प्रभारों, शुल्कों आदि का भुगतान, जो किसी प्राधिकारी या किसी को देय हो, का भुगतान केवल सफल बोली लगाने वाले की ही जिम्मेदारी होगी। ई-नीलामी **"जहां है जैसा है और जो कुछ भी है"** के आधार पर एवं ऑनलाईन होगी। ई-नीलामी की प्रक्रिया बैंक से मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाता **Baanknet द्वारा वेब पोर्टल https://baanknet.com के माध्यम से संचालित की जायेगी।** विक्रय के नियमों और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया निम्नलिखित वेबसाइटों पर अवलोकन करें - **www.baanknet.com / www.sbi.co.in**.

दिनांक: 19.07.2026, स्थान- दुर्ग — प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

अमेरिकी आरोपपत्र से जुड़े मामले में पंजाब पुलिस के निरीक्षक गरफ्तार

होशियारपुर। ए. पंजाब पुलिस ने अमेरिका के संघीय आरोपपत्र में भारत स्थित एक संगठित अपराध गिरोह से जुड़े कथित जबरन वसूली साजिश के आरोपों के सिलसिले में एक निरीक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। जालंधर रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) नवीन सिंगला ने शनिवार को निरीक्षक गुरिंदरजीत सिंह नागरा की गिरफ्तारी की पुष्टि की। नागरा होशियारपुर जिले के टांडा थाने में थाना प्रभारी (एसएचओ) के पद पर तैनात थे।

आतंकवाद पर ‘जीरो टॉलरेंस’ सिर्फ बयान नहीं, कार्रवाई की नीति : राजनाथ

दुनिया के लिए एक भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार भी बना भारत

नई दिल्ली। ए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि देश में ही रक्षा उपकरणों के उत्पादन में आए जबरदस्त उछाल के दम पर, भारत तेजी से एक भरोसेमंद वैश्विक सुरक्षा साझेदार के तौर पर उभर रहा है और हिंद महासागर से लेकर हिंद-प्रशांत तक अपनी रणनीतिक मौजूदगी बढ़ा रहा है। एक कार्यक्रम में पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए सिंह ने कहा कि नई दिल्ली ने आतंकवाद पर अपना नजरिया पूरी दुनिया के सामने साफ तौर पर रखा है और साथ ही कहा कि ''आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने का नजरिया हमारे लिए सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि कार्रवाई की एक नीति है।'' उन्होंने कहा, ''हम आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ उसकी दहलीज पर ही नहीं, बल्कि उसके घर में घुसकर भी कार्रवाई करेंगे। पूरी दुनिया ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान यह देखा था।'' रक्षा मंत्री ने स्वदेशी रक्षा निर्माण में भारत की सफलता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत में बने उत्पादों का निर्यात लगभग 100 देशों को किया जा रहा है और देश के रक्षा उत्पादन का कुल मूल्य सात साल में लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा, ''आज भारत न केवल अपने लिए रक्षा उपकरण बना रहा है, बल्कि दुनिया के लिए एक भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार भी बन रहा है।

pnb पंजाब नैशनल बैंक
सीओ-एसएएम, रायपुर (छ.ग.)

ई-नीलामी तिथि - 04/08/2026
समय: सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक

सरफेसी अधिनियम 2002 (2002 का अधिनियम 54) के अन्तर्गत बैंक में बंधक रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री
APPENDIX-IV-A [See proviso to rule 8(6)]

वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अचल संपत्तियों की ई-निलामी सूचना सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत जारी की जा रही है। इस सूचना के द्वारा उधारकर्ताओं, जमानतदाताओं तथा आम जनता को सूचित किया जाता है। कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियाँ सुरक्षित लेनदार के पास बंधक है एवं इन संपत्तियों को बैंक के प्राधिकृत अधिकारी रचनात्मक/भौतिक /सांकेतिक द्वारा अधिकार में ले लिया गया है। इन संपत्तियो की विक्रय "जहां है जैसा है" जो भी है जैसा भी है' नीचे दिये कॉलमा मे वर्णित तिथि में बैंक/सुरक्षित लेनदार के देय राशि उधारकर्ताओं जमानतदारो से वसुली के लिए किया जा रहे है। आरक्षित मूल्य तथा ब्याना राशि नीचे तालिका में संपत्तियों के समस्त दर्शाई गई है।

सुरक्षित संपत्तियों की अनुसुची

क्र.	खाताधारक का नाम / उधारकर्ता / जमानतदार का नाम व पता / शाखा का नाम	बंधक चल/अचल संपत्तियों का विवरण / मालिक का नाम	1) 13(2) के तहत डिमांड नोटिस की तिथि 2) बकाया राशि 3) कब्जा तिथि सरफेसी एक्ट 2002 के नियम 13(4) के तहत 4) कब्जा की प्रकृति	आरक्षित मूल्य (लाख में) ईएमडी (लाख में) बोली वृद्धि राशि-1000 प्रत्येक संपत्ति के लिये
1	**उधारकर्ता: श्रीमती खुशी सिंह**, पता-1: वार्ड नं. 04, ग्राम लालकपा, पोस्ट खैरवार, लालकपा, मुंगेली- 495334, पता-2: व्यावसायिक दुकान नं. 202, अभिनंदन टावर कॉन्डोमिनियम, दुसरी मंजिल, भाटागांव, रायपुर- 493222, **शाखा कार्यालय : सुंदर नगर, (164010), संपर्क: श्री अजय कुमार पटेल, 9425017828**	**व्यावसायिक दुकान -** दुकान नंबर 202, मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग "अभिनंदन टावर कॉन्डोमिनियम", दुसरी मंजिल, भाटागांव, प.ह. नंबर 105/60, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड नंबर 63, आरएनएम: रायपुर-1, तहसील/जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़ में कारपेट क्षेत्र - 264 वर्ग फुट, बिल्ट-अप क्षेत्र- 288 वर्ग फुट एवं सुपर बिल्ट-अप क्षेत्र - 360 वर्गफुट पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक- श्रीमती खुशी सिंह। सीमाएं :- उत्तर - दुकान नंबर 201, दक्षिण - दुकान नंबर 203, पूर्व - गार्डन, पश्चि मुख्य सड़क.	1) **20.05.2025** 2) **रू 10,58,110.16** + दिनांक 02.05.2025 से ब्याज प्रभावी 3) **02.09.25** को सांकेतिक कब्जा	**रू 13.77 ला** **रू 1.37 लाख**
2	**उधारकर्ता: मेसर्स आशु एजेंसी, प्रो. श्री आशु नाथ** पिता श्री बाबू नाथ। पता-1: गोदौन, कदम प्लाजा के सामने, बोरसी, दुर्ग (छ.ग.) 491001, पता-2: हाउस नंबर एमआईजी - II/57, ओल्ड बोरसी, दुर्ग (छ.ग.)- 491001, **शाखा- बोरसी (205910), संपर्क: अंजलीना कुजूर, 8210197217**	खसरा नंबर 369/92, **प्लॉट** नं. 04, प.ह नं.19/23, मौजा-बोरसी, तहसील/जिला: दुर्ग (छ.ग) में क्षेत्रफल- 1347 वर्ग फुट पर स्थित भूमि का भाग तथा अंश, मालिकाना हक- श्री आशु नाथ पिता श्री बाबू नाथ। सीमाएं :-उत्तर- लीला चौधरी का प्लॉट नंबर 05 , दक्षिण - हेमचंद साहू का प्लॉट नं 03, पूर्व - बीरबल यादव की भूमि, पश्चिम -25 फीट रोड।	1) **13/01/2026** 2) **रू 30,58,845.52** + दिनांक 06.01.2026 से ब्याज प्रभावी 3) **05.05.26** को सांकेतिक कब्जा	**रू 12.73 ला** **रू 1.27 लाख**
3	**उधारकर्ता: श्री दीपक चक्रवर्ती** पिता श्री शैलेन्द्र चक्रवर्ती, **श्री दीपांकर चक्रवर्ती** पिता श्री दीपक चक्रवर्ती। पता: फ्लैट नंबर - 5, श्री राजेंद्र भवन, गुप्ता नर्सिंग होम के पीछे, पुराना आमापारा, मोहन नगर, जिला। - दुर्ग (छ.ग.) - 491001. **शाखा-बोरसी (205910), संपर्क: अंजलिना कुजूर, 8210197217**	**आवासीय फ्लैट -** खसरा नंबर 1314/234, प्लॉट नं 5, श्री राजेंद्र भवन, दूसरी मंजिल, पुराना आमापारा, गुप्ता नर्सिंग होम के पीछे, तहसील / जिला- दुर्ग (छ.ग) में क्षेत्रफल 1500 वर्ग फुट पर स्थित संपत्ति का समस्त भाग तथा अंश, मालिकाना हक- श्री दीपक चक्रवर्ती पिता श्री शैलेन्द्र चक्रवर्ती एवं श्री दीपांकर चक्रवर्ती पिता श्री दीपक चक्रवर्ती । सीमाएं :- उत्तर - 30 फीट रोड, दक्षिण - संतोष जैन की भूमि, पूर्व - गली , पश्चिम - सचिन दरवेडकर का फ्लैट नं. 04 .	1) **12/02/2026** 2) **रू 12,44,464.62** + दिनांक 31.01.2026 से ब्याज प्रभावी 3) **05.05.26** को सांकेतिक कब्जा	**रू 13.59 ला** **रू 1.35 लाख**
4	**उधारकर्ता: 1. श्रीमती विमला सिंह** पति श्री दुर्योधन सिंह बघेल, **2. श्री दुर्योधन सिंह बघेल** पिता श्री रूपधर भगेल, पता: भारत माता चौक के पास, विकास नगर, गुढ़ियारी, मोबाइल टावर के पास, रायपुर, छ.ग. 492001, **शाखा कार्यालय: राजेंद्रनगर (917200), संपर्क: श्री संदीप शंकर दत्ता, 9739767106**	**आवासीय मकान-** खसरा नंबर 493/2, गोगाँव, प.ह नंबर 107, तहसील/जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़, में क्षेत्रफल- 1275 वर्ग फुट पर स्थित सामयिक बंधक संपत्ति, मालिकाना हक- श्री दुर्योधन सिंह बघेल पिता श्री रूपधर बघेल।	1) **08.10.2024** 2) **रू 17,05,249.00** + दिनांक 08.10.2024 से ब्याज प्रभावी 3) **12.09.25** को सांकेतिक कब्जा	**रू 34.68 लाख** **रू 3.46 लाख**
5	**उधारकर्ता: श्री चेट्ठी अरुण** पिता श्री चट्ठी अवलेया, **सह-उधारकर्ता: श्री चट्ठी अवलेया** पिता श्री पर्पय्या,दोनों निवासी: फ्लैट नंबर 224, दूसरी मंजिल, जूही अपार्टमेंट, ट्विन सिटी, तालपुरी, रुआबांधा, भिलाई नगर, दुर्ग (छ.ग).**शाखा- सेक्टर-6, भिलाई (096920), संपर्क: श्री सतीश चंद्र, 9560045725**	**आवासीय फ्लैट -** फ्लैट नंबर 224, दूसरी मंजिल, जूही अपार्टमेंट, ट्विन सिटी, तालपुरी, रुआबांधा, **भिलाई नगर,** जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़, पिन 490006 में **क्षेत्रफल- 658.62 वर्गफीट** पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक - श्री चट्ठी अवलेया पिता श्री पर्पय्या, सीमाएँ- उत्तर: फ्लैट नंबर 223, दक्षिण: खुला क्षेत्र, पूर्व: खुला क्षेत्र, पश्चिम: फ्लैट नंबर 221; भौगोलिक निर्देशांक: 21.162330, 81.333276	1) **04.07.2024** 2) **रू 19,23,078.00** + दिनांक 15.06.2024 से ब्याज प्रभावी 3) **11.09.24** को सांकेतिक कब्जा	**रू 17.78 ला** **रू 1.77 लाख**
6	**उधारकर्ता- श्रीमती कृतिका शर्मा** पति श्री तरुण शर्मा, मेन मार्केट, न्यू खुर्सीपार, वार्ड नंबर 36, भिलाई, जिला- दुर्ग, छ.ग. 490011, **जमानतदार- श्री अजय कुमार गोयल** पिता श्री सतीश गोयल, पता- साकेत कॉलोनी, कातुलबोड़, वार्ड क्रमांक 59, एसएएफ लाइन्स, भिलाई, जिला- दुर्ग, छ.ग., 490022. **शाखा- सिविक सेंटर, भिलाई (007600), संपर्क करें: श्री अजीत साहू, 94075-47533**	**आवासीय प्लाट -** खसरा नंबर- 302/3, प. ह नं 29/42, **ग्राम- उमरपोटी,** पेट्रोल पंप से रेलवे लाइन रोड, आरएनएम- अंडा, **भिलाई,** जिला- दुर्ग, छ.ग. में **क्षेत्रफल: 1500 वर्गफुट** पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक: श्रीमती कृतिका शर्मा पति श्री तरुण शर्मा, सीमाएँ- उत्तर: गुंजा बाई द्वारा बेची गई भूमि, दक्षिण: सुभाष चंद्र नायक की भूमि, पूर्व: हाफिज-उल्ला खान की भूमि, पश्चिम: सड़क; भौगोलिक निर्देशांक: 21.139727,81.347424	1) **05-01-2024** 2) **रू 19,52,601.52** + दिनांक 05-01-2024 से ब्याज प्रभावी 3) **18-05-24** को सांकेतिक कब्जा	**रू 20.25 ला** **रू 2.02 लाख**
7	**उधारकर्ता - श्री राजेंद्र सिंह** पिता श्री निक्का सिंह, **सह-उधारकर्ता- श्रीमती कुलदीप कौर** पति श्री राजेंद्र सिंह, पता- (1) डीएलएक्स मकान नं. 180ए, कबीर नगर, रायपुर (छ.ग) (2) मकान नं. ए34, जी.के. टाउनशिप, सेक्टर नं 2, सिलतरा, तहसील एवं जिला- रायपुर (छ.ग) (3) मकान नं 1, घोर तालाब, छुरिया ब्लॉक, सड़क चिरचारी, राजनांदगांव, (छ.ग) 491557 (4) अटल आवास तिरैयान, मकान नं 287, वार्ड नंबर 11, कुरा जी.पी., धरसीवां, तिल्दा चौक के पास, रायपुर (छ.ग) एवं **जमानतदार - श्री मनिंदर सिंह** पिता श्री राजेंद्र सिंह,पता- (1) मकान नं 1, घोर तालाब, छुरिया ब्लॉक, सड़क चिरचारी, राजनांदगांव (छ.ग) 491557 (2) निहान सेर गेट नंबर 4, सर्वे, 72वी- दहेगांव, पोस्ट कुमाप हिंगनगर, नागपुर, महाराष्ट्र (3) 24, इंप्रियन विस्ट्या, दूसरी मंजिल, 9वां अपार्टमेंट, कोठेवाड़ा, गुमगांव गांव, नागपुर, महाराष्ट्र, 441108, **शाखा- अनुपम नगर (296600) संपर्क करें: श्री पराग गुप्ता, 8822769909**	**आवासीय भूमि एवं मकान -** मकान न ए 34, जी.के. टाउनशिप, सेक्टर नं 2, खसरा नं 555/3 का भाग, प.ह नं 90 (नया 20), रायपुर से बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास, मौजा- **सिलतरा,** आरएनएम धरसींवा-1, तहसील एवं जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़ में **क्षेत्रफल- 1000 वर्गफीट** पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक- श्रीमती कुलदीप कौर पति श्री राजेंद्र सिंह। सीमाएं- उत्तर: मकान नं ए35, दक्षिण: मकान नं ए33, पूर्व: मकान नं बीह, मकान नं 14, पश्चिम: सड़क; भौगोलिक निर्देशांक: 21.384463, 81.671815	1) **15-04-2019** 2) **रू 14,04,814.00** + दिनांक 31/03/2019 से ब्याज प्रभावी 3) **16-07-19** को सांकेतिक कब्जा	**रू 17.93 लाख** **रू 1.80 लाख**
8	**उधारकर्ताओं: 1) श्रीमती पूजा पांडे** पति श्री विक्रांत पांडे, **2) श्री विक्रांत पांडे** पिता श्री राकेश पांडे, दोनों का पता-1) मकान नंबर 2, न्यू गवर्नमेंट फ्लैट, पेंशन बाड़ा, रायपुर, छ.ग. 492001, पता-2) फ्लैट नंबर 819, ब्लॉक-सी, रायपुरा, रायपुर, छ.ग.,492001 . **शाखा कार्यालय : राजेंद्र नगर (917200), संपर्क: श्री संदीप शंकर दत्ता, 9739767106**	**फ्लैट -** फ्लैट नंबर 819, ब्लॉक सी,8वीं मंजिल, एलआईजी-2 बीएचके, इंद्रप्रस्थ फेज II, योजना, रायपुरा, प.ह नंबर 104, खसरा नंबर 291, तहसील/जिला: रायपुर में क्षेत्रफल - 513.79 वर्ग फुट पर स्थित अचल संपत्ति का समस्त भाग तथा अंश , मालिकाना हक - श्रीमती पूजा पांडे पति श्री विक्रांत पांडे।	1) **21.04.2025** 2) **रू 7,54,783.90** + दिनांक 31.03.2025 से ब्याज प्रभावी 3) **02.09.25** को सांकेतिक कब्जा	**रू 11.76 ला** **रू 1.17 लाख**
9	**उधारकर्ता:- श्री मंजूर अंसारी** पिता श्री महबूब अंसारी, पता: मकान नं. 200, आरडीए प्लॉट, संजय नगर, बिलाल मस्जिद के पास, बिलालनगर, रायपुर, छ.ग., 492001, **शाखा कार्यालय: देवेन्द्र नगर (748400), संपर्क: श्री अमित कुमार पांडे, 94258-86925**	खसरा नं. 424/6 (भाग), मौजा: मतपुरेना, प.ह. नं. 105/47, आर.एन.एम.: रायपुर-1, तहसील/जिला: रायपुर (छ.ग) में **क्षेत्रफल - 1038 वर्गफुट** पर स्थित **अचल संपत्ति** का समस्त भाग तथा अंश, मालिकाना हक- श्री मंजूर अंसारी पिता श्री महबूब अंसारी। सीमाएं :-उत्तर- सड़क, दक्षिण - खेतू साहू की भूमि, पूर्व - बोरियाखुर्द की भूमि, पश्चिम - विक्रेता की अवशिष्ट भूमि .	1) **29.11.2025** 2) **रू 18,14,625.08** + दिनांक 23.11.2025 से ब्याज प्रभावी 3) **08.04.26** को सांकेतिक कब्जा	**रू 25.53 ला** **रू 2.55 लाख**
10	**उधारकर्ता: श्री योगेन्द्र प्रसाद सिंह** पिता श्री केशव प्रसाद सिंह, पता: एलआईजी-544, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सड्डू, मोवा, रायपुर, 492014, **जमानतदार: सुरेंद्र सिंह,** पता: पाली रोड, दीपिका, कोरबा, छ.ग., 495452, **शाखा कार्यालय: तेलीबांधा (611400), संपर्क: श्री प्रियांक चोपड़ा, 98279-75521**	**फ्लैट** नं. एलआईजी-479, दीनदयाल आवास योजना, बोरियाकला, रायपुर, खसरा नं. 1494/1, 1616, 1617 प.ह नं. 117, तहसील/जिला: रायपुर (छ.ग) में **क्षेत्रफल- 487 वर्गफुट** पर स्थित **अचल संपत्ति** का समस्त भाग तथा अंश, मालिकाना हक- श्री योगेंद्र प्रसाद सिंह पिता श्री केशव प्रसाद सिंह। सीमाएं :-उत्तर - 10 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिण - मकान नं. 480, पूर्व - खुला क्षेत्र, पश्चिम - मकान नं. 477.	1) **10.09.2025** 2) **रू 1,73,427.00** + दिनांक 29.06.2025 से ब्याज प्रभावी 3) **08.04.26** को सांकेतिक कब्जा	**रू 9.49 लाख** **रू 0.94 लाख**
11	**उधारकर्ता: श्री एम. गोविंद राजू** पिता श्री एम. मुकुंद राव, पता: मकान नं. 65, विनायक गार्डन, शिवानंद नगर, सेक्टर-4, डब्ल्यूआरएस कॉलोनी, रायपुर, छ.ग., 492001, **जमानतदार: श्री कृष्णा बी रामटेके** पिता श्री बाबूराव रामटेके, पता: क्वार्टर नं. 225/1, क्रॉस रोड, 17/आर, डब्ल्यूआरएस कॉलोनी, रायपुर, छ.ग., 492001, **शाखा कार्यालय: देवेन्द्र नगर (748400), संपर्क: श्री अमित कुमार पांडे, 94258-86925**	खसरा नं. 687/17 (भाग),खाता नं. 792, मौजा- गोंदवारा, प.ह नंबर 108, रायपुर, आरए